

प्रेस नोट 05.05.19

1.दिनांक 04.05.19 को वादी श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी पुत्र स्व0 राम तेज तिवारी निवासी गौरा थाना रौनाही, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मैजिक चालक गया प्रसाद यादव पुत्र भदेश्वर निवासी खजुरहट थाना को0बीकापुर, अयोध्या वाहन चालक द्वारा तेज व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी को टक्कर मार देना जिससे गम्भीर चोटें आना। जिसके सम्बन्ध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 207/19 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

2.दिनांक 04.05.19 को वादी उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना रौनाही, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1. विश्राम पुत्र हुबलाल 2. आशाराम पुत्र हुबलाल निवासीगण जगनपुर थाना रौनाही, अयोध्या अभियुक्तगण के कब्जे से 20-20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 198/19 व 199/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

3.दिनांक 04.05.19 को वादी श्री बिपिन कुमार सैनी पुत्र अच्छेलाल सैनी निवासी कुम्हिया थाना महाराजगंज, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साइकिल चोरी कर लेना। जिसके सम्बन्ध में थाना तारून में मु0अ0सं0 101/19 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

4.दिनांक 04.05.19 को वादी व0उ0नि0 श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह थाना इनायतनगर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि
1. रवि कुमार पुत्र जय किशन
2. अंकुर मौर्या पुत्र अरविन्द मौर्या निवासीगण मुमताजनगर थाना कैण्ट, अयोध्या अभि0गण के कब्जे से चोरी की 01 अदद पल्सर मोटर साइकिल बिना नम्बर व अभि0 रवि के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 212/19 व 213/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट 41/411 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

5.दिनांक 04.05.19 को वादी श्री ओम प्रकाश पुत्र राम नरायन निवासी गोठवारा थाना इनायतनगर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि लल्लन प्रसाद पुत्र राम दुलारे निवासी गोठवारा थाना इनायतनगर, अयोध्या आदि 03 नफर पुरानी रंजिश को लेकर अभि0गण द्वारा मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 214/19 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

6.दिनांक 04.05.19 को वादी उ0नि0 श्री सुधाकर यादव थाना को0रुदौली, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि दिलीप कुमार पुत्र शिव गोपाल निवासी बिचाला थाना को0रुदौली, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 146/19 धारा 60(2) आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

7.दिनांक 04.05.19 को वादी श्री मर्जीलाल पुत्र तुलसीराम निवासी कोटरा थाना को0रुदौली, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि लखराज पुत्र संतराम निवासी कोटरा थाना को0रुदौली, अयोध्या अभियुक्त द्वारा शराब के नशे में वादी को गाली व धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 148/19 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।